(107)

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–शिवपुरी

निगरानी 4189-III-14

1. मुखविन्दर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाट सिक्ख
2. सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाट सिक्ख
3. शेर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाट सिक्ख निवासीगण ग्राम घसारई तहसील व जिला शिवपुरी (म.प्र.)

........ आवेदकगण

विरूद्ध

1. बलविन्दर कौर पत्नी श्री बल्देव सिंह सिक्ख
2. गुरमुख सिंह पुत्र श्री बल्देव सिंह सिक्ख
3. बिन्दर कौर पुत्री श्री बल्देव सिंह सिक्ख पत्नी सुखवंत सिंह निवासीगण सैसई सड़क तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

**न्यायालय तहसीलदार परगना शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 76/13–14 /अ–27 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार शिवपुरी के समक्ष भूमि सर्वे क्रमांक 31/1 रकवा 3.30 है. स्थित ग्राम घसारई प.ह.न. 67 रा.नि. मण्डल 2 शिवपुरी तहसील व जिला शिवपुरी के संबंध में एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बंटवारा किये जाने बावत् इस आशय से प्रस्तुत किया कि उसका उपरोक्त भूमि में हिस्सा 1/4 एवं अनावेदकगण का हिस्सा 3/4 है। इसलिये उपरोक्त भूमि का बंटवारा किया जाये।
2. यहकि, उपरोक्त आवेदन पत्र के संबंध में आवेदकगण द्वारा तहसीलदार शिवपुरी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। कि उपरोक्त विवादित भूमि के संबंध में व्यवहार वाद क्रमांक 124ए/2014 ईदी अतिरिक्त व्यवहार न्यायधीश वर्ग–2

(2)

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–4189–तीन/2014 जिला–शिवपुरी

मुखविन्दर सिंह आदि विरूद्ध बलविन्दर कौर आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 17–06–2019 | प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार परगना, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 76/2013–14/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 04–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 07–08–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>17/6/19<br>(आर0के0 जैन)<br>सदस्य | |